संख्या-114/2021/ई-1730472/71-03-2021-एन0एम0-20/2019

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक: 09 सितम्बर, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, अमेठी के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सहायतित योजना ''इस्टेब्लिशमेंट आफ न्यू मेडिकल कालेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल'' (फेज-3) के अन्तर्गत जनपद अमेठी के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज, अमेठी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 है।

2- इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, अमेठी के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की दिनांक 22.03.2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित लागत **रू0 292.5668 करोड़ (रू0 दो अरब बानवे करोड छप्पन लाख अडसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 20.00 करोड** की धनराशि निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश के रूप अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भूमि के निर्विवाद होने के सम्बन्ध में पुष्टि करा ली जायेगी।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा कार्यदायी संस्था की होगी।
3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/10-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड/बिडिंग की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
6. प्रायोजना का निर्माण कार्य अनुमोदित लागत एवं निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय तथा भविष्य में कोई भी मूल्यवृद्धि/पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही प्रशासकीय एव वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
9. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
10. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
11. मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य एम0सी0आई0 मानक के अनुसार Letter of priority के आधार पर फेजवार किया जाय।
12. प्रायोजना में प्रस्तावित मेडिकल उपकरण एवं फर्नीचर हेतु प्रस्तावित रू0 2900.00 लाख को अनुमन्य किया गया है एवं प्रायोजना का क्रियान्वयन ई0पी0सी0 मोड पर किया जाना है। अतः कार्यदायी संस्था उक्त कार्यमदों का क्रय आवश्यकतानुसार एवं स्थापना सुसंगत नियमों के आधार पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु सुसंगत प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया जायेगा। बिडिंग की लागत में यह लागत सम्मिलित नहीं होगी।
13. प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है।
14. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
15. प्रायोजनान्तर्गत सब स्टेशन इक्यूपमेन्ट, डी0जी0 सेट एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, एस0टी0पी0, मेडिकल गैस पाइप लाइन, लिफ्ट, माडुलर ओ0टी0, माइनर ओ0टी0, सी0एस0एस0डी0 उपकरण, लान्ड्री उपकरण, किचेन उपकरण, कम्प्यूटर नेटवर्किंग, इ0पी0बी0एक्स का प्राविधान किया गया है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करे। प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
16. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं के यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
17. कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19. प्रायोजना प्रस्ताव का अनुमोदन लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टिया इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
20. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
21. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
23. मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य एन0एम0सी0 मानक एवं ले आउट प्लान के अनुरूप कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।
24. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
25. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

26. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0122 मेडिकल कालेज अमेठी (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-996/दस-2021-22, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-114/2021/ ई-1730472(1)/71-03-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4. नोडल प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग।
6. प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. जिलाधिकारी, अमेठी।
10. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, अमेठी।
12. नियोजन अनुभाग-4
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा सें,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।